

12  
बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग।

आदेश

संख्या-14/स्था०(अव०)-07-02/2025-

पटना/दिनांक-

श्रीमती कु० आभा, कनीय अभियंता, (यांत्रिक) सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, गयाजी को बिहार सेवा संहिता के नियम 220 एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 में निहित प्रावधान के आलोक में उनके प्रथम संतान हेतु दिनांक-09.02.2026 से दिनांक-07.08.2026 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों की अवधि को मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-  
(रूचि कुमारी)  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-14/स्था०(अव०)-07-02/2025-

/पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:-जिला कोषागार, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-14/स्था०(अव०)-07-02/2025-

/पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग को उनके पत्रांक-1041 दिनांक-09.05.2026 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-14/स्था०(अव०)-07-02/2025-

/पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक), सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुरस्त में प्रविष्टि कराना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-14/स्था०(अव०)-07-02/2025-

/पटना-15, दिनांक-

प्रतिलिपि:- श्रीमती कु० आभा, कनीय अभियंता, (यांत्रिक) सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, गयाजी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक-14/स्था०(अव०)-07-02/2025- 2408

/पटना-15, दिनांक- 21/5/26

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Ruchi Kumar  
20/05/26  
अवर सचिव (प्रबंधन)।